न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 271/2021 अपील/चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/294)
पंजीयन दिनांक– 08.10.2021
निर्णय दिनांक– 15.11.2021

1. श्री दयाराम गोदपुत्र देवीलाल तेली, निवासी गिलूण्ड, तहसील व जिला चित्तौड़गढ।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री अब्दुल हनीफ – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण
संख्या 34/2021 निर्णय दिनांक 24.08.2021

निर्णय

दिनांक 15.11.2021

अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 34/2021 निर्णय दिनांक 24.08.2021 के विरूद्ध दिनांक 08.10.2021 को इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र के साथ रजिस्टर्ड गोदनामे की फोटोप्रति पेश कर निवेदन किया कि श्री देवीलाल पिता कजोड तेली की दिनांक 07.04.2021 को मृत्यु हो चुकी है। रजिस्टर्ड गोदनामा पत्र अनुसार ग्राम गिलूण्ड के आराजी नम्बर 2057 से 2064 तथा 2066 में देवीलाल पिता कजोड के बजाय भूमि मेरे नाम दर्ज की जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 34/2021 अंतर्गत धारा 135 (2) के तहत निर्णय दिनांक 24.08.2021 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.08.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया है:– ***"प्रार्थना पत्र मूल ही पटवार हल्का, गिलूण्ड को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भेजा गया। पटवार हल्का, गिलूण्ड से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 27.07.2021 अनुसार वर्तमान में इस संबंध में प्रकरण राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन होकर स्थगन आदेश है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नामांतरण खोलने से संबंधित अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।"***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल हनीफ उपस्थित व रेस्पोडेंट की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 10.11.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि कानूनी प्रावधान एवं न्याय सिद्धांतो के अनुसार नामांतरण की कार्यवाही एक

वित्तीय कार्यवाही है जिससे किसी व्यक्ति को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। नामांतरण की कार्यवाही से मृतक देवीलाल के बजाय अपीलांट का नाम दर्ज करने से किसी कार्यवाही पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। अधीनस्थ न्यायालय के सामने मृतक देवीलाल के बजाय अपीलांट के नाम नामांतरण करने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं आई है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने नियमित प्रक्रिया का पालन नहीं कर नामांतरण हेतु किये गये आवेदन पर विधिवत आदेश पारित नहीं किया है। पूर्व में लम्बित मामले में नाथू के हिस्से की आराजी विवादित है देवीलाल के हिस्से की आराजीयात कभी विवादित नहीं रही है, इसलिए देवीलाल के हिस्से की आराजी तक कोई स्थगन प्रभावी नहीं है तथा वस्तुतः विवादित आराजीयात पर भी कोई स्थगन प्रभावी नहीं है। बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित होने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 24.08.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रकरण में सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार के यहां आवेदक ने पंजीकृत गोदनामे के आधार पर मृतक देवीलाल की विरासत से गोद पुत्र होने के नाते अपने नाम नामान्तकरण खुलवाने का जो आवेदन दिया एवं मृतक देवीलाल का दिनांक 07.04.2021 का मृत्यु प्रमाण–पत्र भी दिया है। उक्त आवेदन तहसीलदार के यहां

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत किये जाने के बाद तहसीलदार द्वारा पटवारी से रिपोर्ट तलब की गयी तथा पटवारी द्वारा यह वर्णित किया गया कि उक्त आराजीयात के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, चित्तौडगढ़ एवं राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ में वाद चलने एवं वर्तमान में राजस्व मण्डल में वाद विचाराधीन होकर स्थगन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत आवेदन पर अपीलाण्ट को बिना सुने दिनांक 24.07.2021 को प्रकरण राजस्व मण्डल, अजमेर में विचाराधीन होकर स्थगन होने के कारण निरस्त कर दिया। प्रकरण में समायत शुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि एक मूल पुरूष कजोड़ के 3 पुत्र गंगाराम, नाथूलाल व देवीलाल है जिनमें से नाथूलाल की मृत्यु हो जाने के उसके वारिस के रूप में किसी एक कालूराम व गंगाराम के मध्य विवाद चला एवं उक्त विवाद के सन्दर्भ में उपखण्ड अधिकारी के यहां चले वाद के बाद प्रकरण राजस्व मण्डल में विचाराधीन होकर यह आदेश दिया गया है कि उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के आदेश दिनांक 04.01.2018 की क्रियान्विति आगामी पेशी तक स्थगित की जाती है, अर्थात् प्रकरण में विवाद नाथूलाल के कथित वारिस कालू एवं गंगाराम के प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी के निर्णय की क्रियान्विति पर स्थगन है। इस प्रकरण में देवीलाल का कोई जिक्र नहीं है तथा देवीलाल की भी भूमियां इसमें शामिल है या देवीलाल का भी कोई हिस्सा इसमें शामिल है अथवा नहीं, इस बाबत् तहसीलदार द्वारा कोई परीक्षण अथवा अन्वीक्षा नहीं की गयी, केवल पटवारी की उक्त रिपोर्ट को देखकर नामान्तकरण का आवेदन खारिज कर दिया है जबकि राजस्व मण्डल की आदेशिका 10.01.2018 में देवीलाल की विरासत बाबत् किसी प्रकार का कोई उल्लेख स्पष्ट नहीं है।

अपीलाण्ट देवीलाल का पंजीकृत गोदनामे से पुत्र है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को अस्पष्ट व अधूरी रिपोर्ट के आधार

पर नामान्तकरण आवेदन खारिज करने के स्थान पर गंगाराम या उसके वारिसान तथा मृतक नाथूलाल एवं उसके वारिसान तथा उसके कथित वारिस कालू इत्यादि सर्व संबंधित पक्षकारों को सुनकर इस प्रकरण में निर्णय पारित करना चाहिये था ताकि प्रकरण में देवीलाल की विरासत का युक्तियुक्त निस्तारण हो सकें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत् सुनवाई नहीं कर प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया है एवं साथ ही प्रकरण में विधिक रूप से वांछनीय जांच के बिना सरसरी तौर पर नामान्तकरण आवेदन निरस्त कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक व विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश एवं सर्व संबंधित पक्षकारों को सुनकर विधिवत् जांच करते हुए अपीलाण्ट के नामान्तकरण आवेदन पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.12.2021 को उपस्थित हों।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर